

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः शैक्षिक / 4/1 /2020

दिनांकः 05/08/2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, डा० भीमराव आंबेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय सत्र 2020-2021 के लिये प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 30.06.2020 द्वारा अनुमोदित प्रवेश नियमावली एंव शैक्षिक कलैण्डर सत्र 2020-2021 की एक प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

कृपया अपने महाविद्यालय में प्रवेश इसी नियमावली के अनुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः-यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक।

2. सहायक कुलसचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

3. अधीक्षक कुलसचिव, कुलसचिव जी को सूचनार्थ।

अधाद्मक कुललायन, जुललायन में स्ट्रिंग के लिए के अपलोड़ करने हेतु।
 ऐजेन्सी 2015-2019 को समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की लिंगिन-आई0डी0 में अपलोड़ करने हेतु।

5. अभिलेख खण्ड।

कुलसचिव

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

आज दिनांक 30.06.2020 को 11:00 बजे वृहस्पति भवन, पालीवाल पार्क, आगरा पर प्रवेश समिति की बैठक आहूत की गयी। जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:-

कार्यवृत्त

उपस्थिति

11.

प्रो0 अशोक मित्तल, कुलपति अध्यक्ष 2. प्रो0 सुनन्दा खन्ना सदस्य डा0 प्रीति जौहरी 3. सदस्य डा0 निर्मला यादव 4. सदस्य डा0 जगदीश 5. सदस्य डा0 एस0 पी0 सिंह 6. सदस्य डा0 निशान्त चौहान 7. सदस्य डा० एम०के० भारद्वाज 8. सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो0 ए०के० वर्मा 9. विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो0 मनु प्रताप सिंह 10. सचिव डा0 अंजनी कुमार मिश्रा, कुलसचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य में रूप में वित्त अधिकारी श्री ए0के0 सिंह भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

- 1. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 12.04.2019 की सम्पुष्टि पर विचार। निर्णय:- प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 12.04.2019 की सम्पुष्टि प्रदान की गई।
- 2. प्रवेश नियमावली 2020-21 पर विचार । निर्णय:- प्रवेश नियमावली 2020-21 को संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।
 - (i) वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगें।

30/6/20

- (ii) ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापित्त/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) सत्र 2020-2021 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अध्यर्थी पाँच चरणों कमशः(1) पंजीयन (2) वेब रिजस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके छठे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अध्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं भरना होगा। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु वह केवल उन्हीं अध्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिश्।-निर्देश विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर उपलबध है।
 - (iv) महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेवसाइट www.dbrau.org.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।
 - (v) महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेवसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेंगी।
 - (vi) Admission Monitoring System में शुल्क निर्धारण के लिए प्रवेश समिति द्वारा कुलपित जी को अधिकृत किया गया। कुलपित जी ने कोविड-19 महामारी और उसके कारण गहराये आर्थिक संकट तथा छात्र -छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुये यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि Admission Monitoring System की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी से केवल 100 रू0 शुल्क वेब रिजस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।
- सत्र 2020-21 के शैक्षिक कलैण्डर लागू करने पर विचार।
 निर्णय:- सत्र 2020-21 के शैक्षिक कलैण्डर को विस्तृत चर्चा के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
- कुलपित आदेश दिनांक 05/06/2020 के अर्न्तगत शासनादेश संख्या-4250/सत्तर-2992(85)/97
 टी0सी0 दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 को अंगीकृत किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-1)
 निर्णय:- सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-4250/सत्तर-2992(85)/97 टी0सी0 दिनांक 14
 दिसम्बर, 1999 अंगीकृत किया गया।
- 5. कुलपित आदेश दिनांक 25.11.2019 के अनुपालन में बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत का राजपत्र एवं पत्र संख्या- आर/254/218 दिनांक 20.08.2018 को आधार मानते हुये3

प्रवेश प्रिक्रिया के अर्न्तगत, ऐसे वे छात्र जिनको स्नातक स्तर पर 45 प्रितशत से कम अंक प्राप्त हुये है और परास्नातक डिग्री 45 प्रितशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, वे सभी छात्र एल०एल०वी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह माना जाने पर विचार। (परिशिष्ट-2) निर्णय:- प्रवेश समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विद्या परिषद् से पारित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध पर विचार।
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित विभिन्न विभागों में स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत संचालित

किये जाने वाले नवीन पाठ्यक्रमों से प्रवेश समिति को अवगत कराया गया।

अन्त में घन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।

कुलसचिव देश । १०

कुलपति ३०/६/२०२०

- स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 24 अगस्त, 2020
- स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 सितम्बर, 2020
- स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष : 01 सितम्बर, 2020 एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि
- स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 03 सितम्बर, 2020
- उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों की सलाह दी जाती है कि वे समय-समय
 पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।
- (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेगें। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।
 - (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तिगत प्रतिबन्धित न हों।
 - (स) यदि छात्र/छात्रा कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी अर्हता परीक्षा में दो वर्षों से अधिक का अन्तराल है तो ऐसी दशा में आवासीय पाट्यक्रमों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते है परन्तु उन्हें छात्र/छात्रा से यह शपथ-पत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें:-
 - िकसी शिक्षा संस्थान मे अनुशासनहीनता का दोषी नही पाया गया है।
 - किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दिण्डत न हुआ हो।
 - किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् न हो।
 - कही सेवारत न हो।
 ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
 - (द) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेगें।
- 4. नियमानुसार एल0एल0बी० 6 वर्ष, बी०ए०एल०एल०बी० 08 वर्ष , स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 06 वर्ष परास्नातक अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।